संख्या-107/2019/1853/26-3-2019

प्रेषक,

धीरज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल 2019

विषय: **रिट याचिका संख्या-28299/एम.एस./2018 वीरेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-10.04.2019 के अनुपालन में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-210/स0क0/शिक्षा-अ/ 04/1076/2019-20, दिनांक-18.04.2019 एवं छात्रवृत्ति अधिकारी, नोडल निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-234/स0क0/शिक्षा-अ/04/1076/2019-20, दिनांक-24.04.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची श्री वीरेन्द्र कुमार की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति की देय धनराशि रू0-4770/- एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रू0-55,000/- कुल **धनराशि रू0-59,770/- (रूपये-उनसठ हजार सात सौ सत्तर मात्र)** के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

धीरज कुमार
विशेष सचिव।

पृ.संख्या-107/2019/1853(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धीरज कुमार
विशेष साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।